निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र 1944 (श0)

(सं0 पटना 622) पटना, वृहस्पतिवार, 25 अगस्त 2022

गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

अधिसूचना
11 अगस्त 2022

सं० अ0नि0 (03) 13/2009–1931/स्था0—श्री पीयूष कुमार अग्रवाल, तत्कालीन सहायक अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, बेगूसराय को लगातार कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने एवं उच्च पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 801 दिनांक 30.06.2016 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया एवं निलंबन अवधि में श्री अग्रवाल का मुख्यालय जिला अभियोजन कार्यालय, औरंगाबाद निर्धारित किया गया।

श्री अग्रवाल के निलंबन के पश्चात् अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 1112 दिनांक 28.09.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के तहत् संचालित विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी श्री भोला नाथ सिंह, जिला अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, औरंगाबाद एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय, अनुमण्डल अभियोजन पदाधिकारी, से0ग्रे0/अपर लोक अभियोजक, से0ग्रे0 जिला अभियोजन कार्यालय, बेगूसराय को नियुक्त किया गया।

श्री भोला नाथ सिंह, तत्कालीन जिला अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, औरंगाबाद–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1051 दिनांक 04.08.2017 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अभियोजन निदेशालय के स्तर पर किये जाने के उपरान्त आरोपित पदाधिकारी श्री अग्रवाल तत्कालीन सहायक अभियोजन पदाधिकारी सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में सभी तीनों आरोपों को प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप लिये गये निर्णय के आलोक में अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 1059 दिनांक 11.10.2017 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री पीयूष कुमार अग्रवाल, तत्कालीन निलंबित सहायक अभियोजन पदाधिकारी से प्रमाणित आरोपों के सम्बन्ध में द्वितीय कारण पृच्छा/लिखित अभ्यावेदन/निवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

आरोपित पदाधिकारी श्री पीयूष कुमार अग्रवाल तत्कालीन निलंबित सहायक अभियोजन पदाधिकारी द्वारा वांछित द्वितीय कारण पृच्छा/लिखित अभयावेदन/निवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने के फलस्वरूप दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री अग्रवाल तत्कालीन निलंबित सहायक अभियोजन पदाधिकारी को वांछित द्वितीय कारण पृच्छा/लिखित अभयावेदन/निवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

श्री अग्रवाल तत्कालीन निलंबित सहायक अभियोजन पदाधिकारी द्वारा वांछित द्वितीय कारण पृच्छा/लिखित अभ्यावेदन/निवेदन उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त विभागीय कार्यवाही का निष्पादन नहीं कराया जा सका एवं इसी दौरान श्रीमती सुषमा कुमारी द्वारा लिखित रूप से सूचना दी गयी कि श्री अग्रवाल तत्कालीन निलंबित सहायक अभियोजन पदाधिकारी का निधन दिनांक 04.11.2020 को हो गयी है। श्री अग्रवाल भूतपूर्व निलंबित सहायक अभियोजन पदाधिकारी के मृत्यु की सम्पुष्टि कार्यालय नगर परिषद, अररिया के पत्रांक 1090/न0प0, दिनांक 27.07.2021 द्वारा किया गया है।

श्री अग्रवाल भूतपूर्व निलंबित सहायक अभियोजन पदाधिकारी के मृत्यु की सम्पुष्टि कार्यालय नगर परिषद, अररिया के पत्रांक 1090/न0प0, दिनांक 27.07.2021 द्वारा प्राप्त होने के पश्चात् मामले की समीक्षा सक्षम प्राधिकार के स्तर पर किये जाने के उपरान्त उक्त आरोपित पदाधिकारी को दिनांक 04.11.2020 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 1112 दिनांक 28.09.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के तहत् संचालित विभागीय कार्यवाही के आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

स्व0 पीयूष कुमार अग्रवाल, पूर्व निलंबित सहायक अभियोजन पदाधिकारी के निलंबन की तिथि (30.06.2016) एवं मृत्यु की तिथि (04.11.2020) के जाँच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य पर मानी जायेगी और इनके आश्रित को उस अवधि के लिए पूरे वेतन तथा भता का भुगतान किया जायेगा, जिसके लिए वह निलंबित नहीं होने पर हकदार होता। ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन–निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते एवं सरकारी बकाया या ऋणों को समायोजन कर लिया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुधांशु कुमार चौबे,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 622-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in